

अध्याय XIII : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

13.1 इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का समय पर लाभ न उठाना

इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का मौजूदा नियमों के अनुसार समय पर लाभ नहीं उठाया गया, कंपनी को ₹1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और खरीदी गई सामग्रियों पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का एक अवसर भी खो दिया।

कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (बाद में, कंपनी के रूप में संदर्भित) कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावागडा तालुका के पांच गांवों में 2000 मेगावाट के सौर पार्क विकसित कर रही है। कंपनी ने एक सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर होने के कारण सौर पार्क के विकास के लिए पट्टे पर जमीन लेने के लिए भूमि मालिकों के साथ समझौता किया। अधिग्रहित ज़मीनों को वार्षिक किराये पर सौर ऊर्जा डेवलपर्स (सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार संस्थाएँ) को आवंटित किया गया था। कंपनी ने सौर ऊर्जा डेवलपर्स के साथ कार्यान्वयन और समर्थन समझौते किए और उन्हें सौर पार्क सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए उनसे शुल्क लिया।

सोलर पार्कों में आम/साझा सुविधाओं के निर्माण हेतु, कंपनी ने विभिन्न निजी फर्मों (बाद में ठेकेदारों के रूप में संदर्भित) के साथ सब-स्टेशनों की स्थापना के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन लाईन, टर्मिनल बे और सड़क प्रकाश तय किये टर्नकी आधार पर कार्यों के लिए अनुबंध किए। अनुबंधों में सभी कर और शुल्क सन्निहित थे। यह नोट किया गया कि दिसंबर 2016 से जून 2017 के दौरान ठेकेदारों द्वारा कंपनी को आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य ₹10.90 करोड़ था जिसमें ₹1.16 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेनवैट क्रेडिट नियम (सीसीआर) 2004 में यह प्रावधान है कि आउटपुट सेवा प्रदाता किसी इनपुट पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क या आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त पूँजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (सेनवैट क्रेडिट) का लाभ उठा सकता है {नियम 3 (1)}। लेखापरीक्षा ने यह भी उल्लेख किया कि सीसीआर 2004 के नियम 3 (4) में कहा गया है कि सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किसी भी अंतिम उत्पाद या सेवा कर पर उत्पाद

शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। नियम 4 (4) में यह भी प्रावधान है कि पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट को पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य के उस हिस्से (उत्पाद शुल्क द्वारा प्रदत्त) के मूल्य के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर आउटपुट सेवा प्रदाता ने अनुच्छेद 32 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल्यहास का लाभ लेने का दावा किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 मार्च 2015 के वित्त मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार आउटपुट सेवा प्रदाता दस्तावेजों के जारी होने की तिथि के एक वर्ष बाद सेनवैट क्रेडिट नहीं ले सकता है।

मार्च 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए कंपनी के सेवा कर विवरणियों की समीक्षा से यह सामने आया है कि इसने ₹25.39 करोड़ (नकद ₹24.91 करोड़ और सेनवैट क्रेडिट ₹0.48 करोड़) सेवा कर का भुगतान किया था। हालाँकि, इसने आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए ₹1.16 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया। ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गई पूंजीगत/इनपुट वस्तुओं पर भुगतान किए गए ₹1.16 करोड़ के उत्पाद शुल्क की राशि के रूप में ₹1.16 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध था। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि कंपनी ने ₹140.76 करोड़ मूल्य की खरीदी गई सामग्रियों¹ की आपूर्ति भी प्राप्त की, जिस पर सेनवैट क्रेडिट की राशि पर ठेकेदारों द्वारा कर चालान न जमा करने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा हिसाब नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि ठेकेदारों को खरीदे गए सामानों के संबंध में कंपनी के साथ कर चालान को साझा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कीमतें सभी करों और शुल्को सहित सन्निहित होती हैं। सीसीआर 2004 के अनुसार सभी चालानों की आवश्यक विवरणी की अनुपस्थिति में, सेनवैट क्रेडिट के लिए पात्रता का पता लगाना मुश्किल है। आगे यह भी कहा गया है कि एक ठेकेदार (मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान सेनवैट क्रेडिट की पात्रता राशि के संबंध में जांच के अधीन हैं। इसने आगे कहा है कि इसने सेनवैट क्रेडिट की राशि पर मूल्यहास की माँग की थी जो कुछ समय की अवधि में सेनवैट क्रेडिट के गैर-लाभकारीकरण की भरपाई करेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर (मई 2019) दिया कि सोलर पार्क डेवलपर को, जहाँ भी उपलब्ध हो, सेनवैट क्रेडिट सहित किसी भी राजकोषीय लाभ का उपयोग उठाने में मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है।

¹ तीसरे स्रोत से ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई सामग्री तथा कंपनी को आपूर्ति की जाती है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकृत नहीं हैं क्योंकि सीसीआर 2004 आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देता है। कम्पनी को सौर पार्को में अवसंरचना सुविधाओं का प्रदाता होने के कारण सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए खरीदे गए सामान के मामले में भी ठेकेदारों से कर चालान के लिए आग्रह करना था। यह कंपनी की ओर से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण नहीं था कि खरीदी गई सामग्रियों पर कर चालान प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित न करें, जिसके कारण उन सामग्रियों के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का अवसर खो दिया। आगे, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 मार्च 2015 कि अधिसूचना अनुसार, निर्माता या आउटपुट सेवा के प्रदाता दस्तावेजों के जारी होने की तारीख के एक साल बाद सेनवैट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार, प्रबंधन का प्रस्तुतीकरण कि यह सेनवैट क्रेडिट की पात्रता संबंधित मामले जांच कर रहा है की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि मैसर्स लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड द्वारा चालान 2016 और 2017 में प्रस्तुत किए गए थे और इसलिए, कंपनी अब सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकती है। हमारी राय में, भले ही कंपनी सभी वर्षों में मुनाफा कमाती है, मूल्यहास का अतिरिक्त लाभ सेनवैट क्रेडिट को प्रतिसंतुलित (ऑफसेट) नहीं करता है क्योंकि सेनवैट क्रेडिट के तहत ₹1.16 करोड़ संचयी राशि के एवज में निवल वर्तमान मूल्य² ₹0.15 करोड़ आता है। मूल्यहास शुल्क के कारण होने वाले लाभों का निवल वर्तमान मूल्य ₹0.15 करोड़ होगा। (अनुपयुक्त सेनवैट क्रेडिट का 12.93 प्रतिशत)।

इस प्रकार, मौजूदा नियमों के अनुसार इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाने से, कंपनी को ₹1.01 करोड़ (₹1.16 करोड़ से ₹0.15 करोड़ कम अर्थात् मूल्यहास प्रभार की वजह से निवल वर्तमान मूल्य देय) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और ₹140.76 करोड़ की खरीदी गई सामग्री पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

² 6.75 प्रतिशत की दर का उपयोग करके गणना की गई (अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए 1 जुलाई 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के टर्म डिपॉजिट दर)।

13.2 भूमि मालिकों की ओर से स्रोत पर काटे गये कर का भुगतान

भूमि मालिकों को भूमि के पट्टे के प्रभार में से टीडीएस नहीं लिया गया था। यह भूमि मालिकों की ओर से कंपनी द्वारा वहन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.25 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड³ (केएसपीडीसीएल- इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) का गठन (मार्च 2015) कर्नाटक राज्य में सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किया गया था, और यह पावागड़ा तालुक, तुमकुर जिले के पांच गांवों में पहचान की गई लगभग 11000 एकड़ भूमि में 2000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित कर रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना (दिसंबर 2014) ने कहा कि सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह सौर पार्कों के लिए न्यूनतम संभावित कीमत पर भूमि उपलब्ध कराए। कर्नाटक सरकार (जीओके) ने सौर परियोजनाओं के लिए लीज पर ली गई भूमि के संबंध में भूमि मालिकों को देय पट्टा प्रभार तय करने के लिए एक समिति का गठन (अगस्त 2015) किया। समिति ने (28 सितंबर 2015) भूमि पट्टाधारकों को 2 वर्ष में एक बार बेस प्राइस पर 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रति एकड़ ₹21000 की दर से देय प्रभार निर्धारित किया। तदनुसार, कंपनी ने भूमि मालिकों के साथ पट्टे के समझौते किये और सहमति अनुसार कंपनी भूमि पट्टे के प्रभार का भुगतान कर रही थी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए वार्षिक लीज प्रभार पर अधिग्रहित भूमि को सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) को आवंटित किया गया था।

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने नोट किया (13 मई 2016) कि आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी एक्ट, 1961) की धारा 194 आई के अनुपालन में भूमि मालिकों को वार्षिक लीज प्रभार जारी करने से पहले स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती नहीं की गई थी। आईटी एक्ट, 1961 की धारा 201 में यह प्रावधान है कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा टीडीएस ना काटने की स्थिति में, उसे ऐसे कर के संबंध में डिफॉल्ट के रूप में निर्धारित माना जाएगा। नतीजों और कानूनी मुद्दों को देखते हुए बीओडी ने टीडीएस की देयता को वहन

³ कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड (कर्नाटक राज्य सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (भारत संघ सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम) के बीच 50:50 का संयुक्त उपक्रम।

करने एवं परियोजना लागत के प्रति उसको पूंजीकृत कराने का निर्णय लिया और उसे एसपीडीएस को दिया गया।

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एसपीडीएस से टीडीएस भुगतान के लिए खर्च को वसूलने की संभावना दूरस्थ है जैसा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी परियोजना लागत में इस पहलू को नहीं बताया है और कंपनी की मांग उनके और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार नहीं थी, और इसलिए कोई भी ऐसा भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि भूमि लीज प्रभार निर्धारण समिति ने यह नहीं बताया कि भूमि लीज प्रभार निवल आयकर सहित निर्धारित किए हैं। अतः प्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति होने के कारण आयकर को निर्धारिती द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा आयकर प्राधिकारी से भूमि के मालिकों द्वारा टीडीएस की वापसी का दावा करने की संभावना को इस तथ्य के बावजूद खारिज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे भूमि मालिकों को कंपनी द्वारा अपने स्वयं की निधियों से टीडीएस जमा किया गया था जिससे ऐसे भूमि मालिकों को अन्यायपूर्ण समृद्धि मिली।

भूमि मालिकों की ओर से टीडीएस के अनियमित भुगतान को जारी रखने पर लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर, कंपनी ने (जुलाई 2018) ऊर्जा विभाग, कर्नाटक सरकार को भूमि मालिकों की ओर से टीडीएस के भुगतान की मंजूरी के लिए संपर्क किया। कर्नाटक सरकार ने सितंबर 2018 में कंपनी के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हालांकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद यह उजागर नहीं हुआ कि यह मुद्दा एक ऐसी समिति को भेजा गया था जो भूमि मालिकों को देय भूमि पट्टे के प्रभार को तय/संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थी। कंपनी भूमि मालिकों को दिए गए भूमि के पट्टे के प्रभारों में से कटौती किए बिना टीडीएस का भुगतान जारी रख रही है। दिसंबर 2018 तक, कंपनी ने टीडीएस की देरी से भुगतान पर ₹0.13 करोड़ के ब्याज सहित जनवरी 2016 से नवंबर 2018 की अवधि के लिए ₹5.25 करोड़ की राशि के लिए भूमि लीज प्रभारों पर टीडीएस का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने कहा (जून 2018/जनवरी 2019) कि अनुबंध के अनुसार भूमि मालिक भूमि के संबंध में भूमि कर/राजस्व कर का भुगतान करेंगे और इस प्रकार ₹21,000 “नेट ऑफ़ टैक्स” जमा होगा। टीडीएस का भुगतान कर्नाटक सरकार के आदेशों के अनुसार और भूमि लीज मालिकों के साथ दर्ज लीज अनुबंध के अनुसार किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा क्योंकि एसपीडीएस द्वारा भुगतान किया गया भूमि

पट्टे का प्रभार (जिन पर बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है) कंपनी द्वारा जमा किए गए टीडीएस की राशि को सम्मिलित करेगा। यह भी कहा गया कि भूमि मालिकों को टीडीएस के वापसी/समायोजन से बचने के लिए कोई टीडीएस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2020) कि लेखापरीक्षा पैरा में उठाए गए मामलों में उनकी कोई टिप्पणियां नहीं हैं।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है। ना ही कंपनी और भूमि मालिकों के बीच भूमि पट्टे का समझौता और ना ही समिति द्वारा तय भूमि पट्टे का प्रभार बताता है कि वार्षिक पट्टा प्रभार ₹21,000 “नेट ऑफ इनकम टैक्स” है। आईटी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, टीडीएस स्रोत पर काटा जाने वाला टैक्स होता है जो करदाता द्वारा अपनी कर योग्य आय पर देय आयकर के प्रति संवितरण प्राधिकरण द्वारा काटा जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी भुगतान या भूमि मालिकों की ओर से देय किसी भी भुगतान पर जो एसपीडीएस से वसूल किये जाने योग्य नहीं था, कंपनी पर सीधा वित्तीय बोझ डलेगा। इसके अलावा, अकेले टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं करना भूमि मालिकों द्वारा टीडीएस वापसी/समायोजन का दावा करने की सभी संभावनाओं को दूर नहीं करता है।

इस प्रकार, भूमि के लीज प्रभार के भुगतान और कंपनी द्वारा भूमि मालिकों की ओर से भी उसी भुगतान पर टीडीएस की कटौती करने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹5.25 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ है (नवंबर 2018 तक) जिसकी वसूली भूमि मालिकों से की जानी है। यह अनियमित भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी अपने निर्णय को संशोधित नहीं करती तथा भूमि मालिकों से भूमि लीज प्रभारों के भुगतान से टीडीएस कटौती आरंभ नहीं करती।